रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 1992/माघ 14, 1913
No. 22] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 1992/MAGHA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1992

सं. 7(2)/92-सी.पी.एस.--औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को रखा गया था। इस नीति में भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकीय प्रभ्युत्थान तथा आधुनिकीकरण की चेष्टा की गयी है जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को सक्षम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा करने योग्य बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में श्रमिक शक्ति को सक्रिय साझी बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार एतद्द्वारा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना करती है।

आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन के परिणामस्वरूप श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः तैनाती की लागत को पूरा करने में इस निधि से सहायता मिलेगी और इससे औद्योगिक पुनः संरचना से प्रभावित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग इस निधि का प्रशासन करेगा।

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस निधि को प्रशासित करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की जायेंगी।

एन. आर. कृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Deptt. of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd February, 1992

No. 7(2)|92-CUS.—The Statement of Industrial Policy was laid by the Government of the Table of both Houses of Parliament on July 24, 1991. The Policy seeks to bring about technological upgradation and modernisation in Indian industry with the objective of making industry efficient and internationally competitive. In furtherance of this objective and to enable the labour force to remain active productive partners in the process of modernisation, Government hereby establishes a National Renewal Fund.

The Fund will provide assistance to cover the costs of remaining or redeployment of labour arising as a result of modernisation and technology upgradation and also to provide a social safety net to workers affected by industrial restructuring. The Fund will be administered by the Department of Industrial Development in the Ministry of Industry.

Procedures for administering the fund will be prescribed by the Department of Industrial Development.

N. R. KRISHNAN, Additional Secretary

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992